भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3039
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं

3039. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में हिमालयी राज्यों में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हिमालयी क्षेत्र के ऊंचे और कठिन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर संचालन की कोई तकनीकी/संरक्षा संपरीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनिवार्य की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और मौसम के पूर्वानुमान, क्षेत्र के मानचित्रण, पायलट प्रशिक्षण तथा रात्रि में उड़ान भरने पर प्रतिबंध जैसे विशेष उड़ान दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए हिमालयी राज्यों में हेलीपैड, संचार अवसंरचना और तात्कालिक समय में मौसम की निगरानी करने वाली प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का हिमालयी क्षेत्र में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम (टीएडब्ल्यूएस), स्वास्थ्य एवं उपयोग निगरानी प्रणाली (एचयूएमएस) और सैटेलाइट-आधारित वायुयान-संचालन जैसी उन्नत सुरक्षा तकनीकों के उपयोग को शुरू करने/अनिवार्य करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऊंचे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की स्थिति में खोज और बचाव कार्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों और रक्षा बलों के साथ मिलकर क्या उपाय किए जा रहें हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2023 से 2025 के दौरान, हिमालयी राज्य उत्तराखंड में कुल 06 दुर्घटनाएं हुई हैं।

वर्ष 2025 के दौरान, डीजीसीए द्वारा हिमालयी क्षेत्र के अत्यधिक ऊंचाई वाले, दुर्गम क्षेत्रों में परिचालन करने वाले हेलीकॉप्टर प्रचालकों की 08 विशेष संपरीक्षाएं की गईं, जिनके नाम निम्नानुसार हैं:

(i) मेसर्स ट्रांसभारत एविएशन प्रा. लि.
(ii) मेसर्स हिमालयन हेली सर्विसेज लि.
(iii) मेसर्स एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर्स प्रा. लि.
(iv) मेसर्स आर्यन एविएशन प्रा. लि.
(v) मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा. लि.
(vi) मेसर्स केस्ट्रेल एविएशन प्रा. लि.
(vii) मेसर्स पवन हंस लि.

(viii) मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प लि.

निष्कर्षों का विवरण अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

हिमालयी क्षेत्र में तीर्थयात्रा परिचालनों में उड़ान भरने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) परिचालन परिपत्र (ओसी) 02/2023 में प्रस्तुत हैं।

(घ): डीजीसीए ने दुर्घटना जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को लागू किया है:

(i) चालक दल की क्षमता, विमान रखरखाव और फिटनेस, लोड और ट्रिम, मौसम ब्रीफिंग, अनिवार्य पायलट परिचितता और योग्यता अपेक्षाओं, प्रशिक्षित जनशक्ति की तैनाती, और परिष्कृत हेलीपैड संरक्षा और सुरक्षा उपायों को कवर करने वाली उड़ान-पूर्व की चेकलिस्ट को अनिवार्य करके परिचालन संरक्षा को सुदृढ़ किया गया।
(ii) अत्यधिक ऊंचाई वाले हेलीपैड पर विमान के वजन को प्रतिबंधित करके, प्रति घंटा शटल उड़ानों को सीमित करके, दैनिक चार्टर परिचालनों को सीमित करके, श्राइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टरों की संख्या को प्रतिबंधित करके, और एएआई-प्रचारित कोप्टर मार्गों को लागू करके परिचालन नियंत्रण शुरू किया गया।
(iii) विशेष संपरीक्षाओं, फील्ड निगरानी के लिए डीजीसीए अधिकारियों की तैनाती, एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का संचालन, अनिवार्य उपग्रह-आधारित हेली-ट्रैकर्स, स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली (एडब्ल्यूओएस), और उन्नत सीसीटीवी/मौसम कैमरा निगरानी के माध्यम से उन्नत विनियामक निरीक्षण और निगरानी।
(ङ): डीजीसीए ने निम्नलिखित उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अनिवार्य किया है:-
(i) स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली।
(ii) रियल-टाइम अपडेट के साथ उपग्रह आधारित हेली-ट्रैकिंग प्रणाली।
(iii) कोप्टर मार्ग जिनके प्रभावी दिक्चालन के लिए जीपीएस उपयोग की आवश्यकता होती है।
(iv) रियल-टाइम मौसम स्थितियों के लाइव फीड के साथ मौसम केमरे, जो ऑनलाइन और वेब-आधारित मोबाइल ऐप्स पर उपलब्ध हैं।

चूँकि पहाड़ियों/पर्वतों में परिचालन मुख्य रूप से सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों द्वारा दृश्य उड़ान नियमों (वीएफआर) के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए क्षेत्रीय जागरूकता और चेतावनी प्रणाली (टीएडब्ल्यूएस)/संवर्धित ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वॉर्निंग सिस्टम (ईजीपीडब्ल्यूएस) और स्वास्थ्य उपयोग निगरानी प्रणाली (यूएमएस) को अनिवार्य नहीं किया गया है।

(च): चार धाम परिचालन करने वाली सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों के लिए हेली-ट्रैकर्स (उपग्रह आधारित रियल-टाइम ट्रैकिंग) अनिवार्य कर दिया गया है, इसके ट्रैकिंग डाटा की रियल-टाइम निगरानी आईसीसीसी सहस्त्रधारा में जाती है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हेलीकॉप्टर की नवीनतम स्थिति नियंत्रण केंद्र को पता होती है।
राज्य प्राधिकारी रक्षा हेलीकॉप्टरों से अनुरोध करके और/या राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) का उपयोग करके खोज और बचाव गतिविधियां निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अनुलग्नक क

प्रमुख निष्कर्ष

- उड़ान ड्यूटी समय-सीमा की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- प्रचालक द्वारा ओसी 02/2023 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- प्रमाणन कर्मचारियों द्वारा रखरखाव पैकेज को बंद करने में किसी मानकीकृत प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।
- प्रचालक ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि कैलिब्रेशन एजेंसी सीएआर अपेक्षा को पूर्ण करती है।
- एटीआर सहित आंतरिक संरक्षा संपरीक्षा रिपोर्टें डीजीसीए को अग्रेषित नहीं की जा रहीं हैं।
- गुप्तकाशी के ईआरपी में आपातकालीन संपर्क विवरण और अक्षम विमान को हटाने की प्रक्रिया शामिल नहीं है।
- उड़ान परिचालनों के लिए स्लॉट आवंटन समय का रखरखाव नहीं किया गया था।
- कुछ अवसरों पर एयरबोर्न इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम डाटा का विश्लेषण नहीं किया गया था।
- यह देखा गया है कि बीए परीक्षण करने के लिए सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर कोई नामित स्थान नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पास पायलट बीए परीक्षण कर रहे हैं।
